सं. 2/22/2008-स्था०(वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

* * *

नई दिल्ली, दिनांक : 3 नवंबर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- वेतन + प्रतिनियुक्ति (इ्यूटी) भत्ता पर प्रतिबंध के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, प्रतिनियुक्ति (इ्यूटी) भत्ता निम्नानुसार प्रतिबंधित होगा :

" समय-समय पर मूल वेतन + प्रतिनियुक्ति (इ्यूटी) भत्ता पे-बैंड पी.बी-4 (रु.67,000) + अधिकतम 10,000 रु. के ग्रेड वेतन के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति पर धारित पद के ग्रेड वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए । संशोधित वेतन ढांचे में शब्द 'मूल वेतन' का अर्थ नियत वेतन बैंड + लागू ग्रेड वेतन में आहरित वेतन है, लेकिन इसमें विशेष वेतन जैसा कोई अन्य प्रकार का वेतन इत्यादि शामिल नहीं है"

2. ये आदेश 01 सितंबर, 2008 से प्रभावी होंगे ।

3. जहां तक इन आदेशों का भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों के लिए लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं ।

(बी. के. मुखोपाध्याय)
निदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि :- निदेशक (एन.आई.सी.), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को, शीर्ष "स्थापना (वेतन)", उप-शीर्ष "प्रतिनियुक्ति" के अंतर्गत इस विभाग की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने के लिए ।

<u>प्रतिलिपि इन्हें भी अग्रेषित</u> :

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा उनके नियंत्रणाधीन सभी राज्य (400 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
2. लेखा महानियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/ उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग)/जे.सी.ए./प्रशासन अनुभाग ।
5. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय ।
6. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र ।
7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
8. जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
10. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।
11. 50 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

(बी. के. मुखोपाध्याय)
निदेशक